

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

RBA No. 52/2021
GST Circular No. 28/2021

No. 2018/AC-II/GST/1 (Part)

05th October 2021

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Change in GST Rates

Ministry of Finance vide below mentioned notifications dated 30th September 2021 has amended hitherto notified certain GST Rates and exemptions. The same are effective from 01st October 2021:

S. No.	Notification No. & Date	Hitherto provisions (applicable till 30 th September 2021)	Revised provisions (applicable from 01 st October 2021)	Remarks
1.	8/2021- Central Tax (Rate) dated 30 th September 2021	Goods falling under Chapter 86 leviable to CGST at 6% (i.e. CGST - 6%, SGST - 6% or IGST-12%)	Goods falling under Chapter 86 leviable to CGST at 9% (i.e. CGST - 9%, SGST - 9% or IGST- 18%)	CGST Rate for supply of goods falling under Chapter 86 on which hitherto 6% GST was applicable has been amended to 9%. Thus, considering SGST/UTGST rates, the total GST rate has been revised from 12% to 18% with effect from 01st October 2021.
2.	7/2021- Central Tax (Rate) dated 30 th September 2021	Exemption on services of leasing of assets (rolling stock assets including wagons, coaches, locos) by the Indian Railways Finance Corporation (IRFC) to Indian Railways	-* *(Exemption withdrawn)	Hitherto applicable exemption under GST on services of leasing of assets (rolling stock assets including wagons, coaches, locos) by IRFC to Indian Railways has been withdrawn with effect from 01st October 2021. Thus, leasing of such assets by IRFC to Indian Railways shall now be exigible to GST @ 18%.

Note:

- It is pertinent to note that references above have been given for notifications issued under CGST Act only and respective notifications issued under State/Union Territories Act can also be referred in this regard.
- A tabular presentation of goods corresponding to changes stated in S. No. (1) above is annexed herewith as 'Annexure-1'.
- Pursuant to change in GST rate of goods under Chapter 86 (as stated in S. No. (1) above), the time of supply concerning applicability of old rate vis-à-vis new rate on outward supply of such goods shall be as under:

A. Goods supplied before 01st October 2021

Scenario	Time of Supply	Applicable GST rate
Invoice issued and Payment received on or after 01 st October 2021	Earlier of: - Invoice issue date, or - Payment receipt date	18%
Invoice issued on or before 30 th September 2021, but Payment received on or after 01 st October 2021	Invoice issue date	12%
Invoice issued on or after 01 st October 2021, but Payment received on or before 30 th September 2021	Payment receipt date	12%

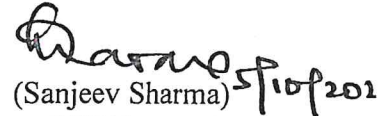
B. Goods supplied on or after 01st October 2021

Scenario	Time of Supply	Applicable GST rate
Invoice issued and Payment received before 01 st October 2021	Earlier of: - Invoice issue date, or - Payment receipt date	12%
Invoice issued on or before 30 th September 2021, but Payment received on or after 01 st October 2021	Payment receipt date	18%
Invoice issued on or after 01 st October 2021, but Payment received on or before 30 th September 2021	Invoice issue date	18%

- Also, it is imperative to note that generally date of receipt of payment (or payment receipt date) is the date on which the payment is entered in the books of account of supplier (i.e. Indian Railways) or date on which payment is credited in the bank account (of Indian Railways), whichever is earlier. However, **in case of change in rate of tax**, the date of

receipt of payment is the date of credit in the bank account if such credit is after four working days from the date of change in rate of tax.

All the Railways and Units shall apprise themselves with the aforementioned amendments in GST laws and ensure adherence to the same in consultation with their GST consultants.


(Sanjeev Sharma) 5/10/201
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. AM/T&C, PED/Finance, Railway Board
2. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
3. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
4. All Directors of GST Cell, Railway Board
5. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
6. Director/Finance, CRIS

S. No.*	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.

* as stated under amended GST rate notification

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 52/2021
जीएसटी परिपत्र सं. 28/2021

सं. 2018/एसी-11/जीएसटी/1(पार्ट)

05 अक्टूबर, 2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: जीएसटी दरों में परिवर्तन।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 सितंबर, 2021 की नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत अब तक अधिसूचित कुछ जीएसटी दरों तथा छूटों में संशोधन किया है। ये दरें दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हैं:

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या एवं तारीख	अब तक के प्रावधान (30 सितंबर, 2021 तक लागू)	संशोधित प्रावधान (01 अक्टूबर, 2021 से लागू)	टिप्पणियां
1.	दिनांक 30 सितंबर, 2021 की 8/2021-सेंट्रल टैक्स (रेट)	अध्याय 86 के अंतर्गत आने वाले माल के लिए 6% सीजीएसटी आरोप्य (अर्थात् सीजीएसटी-6%, एसजीएसटी-6% या आईजीएसटी-12%)	अध्याय 86 के अंतर्गत आने वाले माल के लिए 9% सीजीएसटी आरोप्य (अर्थात् सीजीएसटी-9%, एसजीएसटी-9% या आईजीएसटी-18%)	अध्याय 86 के अंतर्गत आने वाले माल की आपूर्ति के लिए सीजीएसटी दर, जिन पर अब तक 6% जीएसटी लागू था, को संशोधित करके 9% कर दिया गया है। अतः, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी दरों पर विचार करते हुए, कुल जीएसटी दर को 12% से संशोधित करके दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से 18% कर दिया गया है।
2.	दिनांक 30 सितंबर, 2021 की 7/2021-सेंट्रल टैक्स (रेट)	भारतीय रेल को भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) द्वारा परिसंपत्तियों (मालडिब्बों, सवारी डिब्बों, रेल इंजन सहित	* (छूट वापस ले ली गई)	भारतीय रेल को भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) द्वारा परिसंपत्तियों (मालडिब्बों, सवारी डिब्बों, रेल इंजनों सहित चल स्टॉक परिसंपत्तियों) को पट्टे पर देने की सेवाओं पर जीएसटी के अंतर्गत अब तक लागू छूट को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से वापस ले लिया गया है।

	चल स्टॉक परिसंपत्तियां) को पट्टे पर देने की सेवाओं पर छूट	अतः, भारतीय रेल को आईआरएफसी द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के लिए अब से 18% की दर से जीएसटी आहरित किया जाएगा।
--	---	--

टिप्पणी:

- यह नोट करना उपयुक्त होगा कि ऊपर दिए गए संदर्भ केवल सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के लिए दिए गए हैं और इस संबंध में राज्य/केन्द्र शासित अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई संबंधित अधिसूचनाओं का भी अवलोकन किया जा सकता है।
- उपर्युक्त क्रम सं. (1) में उल्लिखित परिवर्तनों के तदनुरूपी माल का सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण 'अनुलग्नक-1' के रूप में इसके साथ संलग्न है।
- अध्याय 86 (ऊपर क्रम संख्या (1) में यथा उल्लिखित) के अंतर्गत माल की जीएसटी दर में किए गए परिवर्तन के अनुसार, पुरानी दर की अनुप्रयोज्यता से संबंधित आपूर्ति के समय की तुलना में ऐसे माल की जावक आपूर्ति पर नई दर निम्नानुसार होगी:

क. 1 अक्टूबर, 2021 से पहले आपूर्ति किया गया माल

परिदृश्य	आपूर्ति का समय	लागू जीएसटी दर
दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को या उसके पश्चात् जारी किया गया बीजक और प्राप्त भुगतान	से पहले: - बीजक जारी करने की तारीख, या - भुगतान प्राप्ति की तारीख	18%
30 सितंबर, 2021 को या उससे पूर्व जारी बीजक, परंतु 01 अक्टूबर, 2021 को या उसके पश्चात् प्राप्त भुगतान	बीजक जारी करने की तारीख	12%
01 अक्टूबर, 2021 को या उसके पश्चात् जारी बीजक, परंतु 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले प्राप्त भुगतान	भुगतान प्राप्ति तारीख	12%

ख. 01 अक्टूबर, 2021 को या उसके पश्चात् आपूर्ति किया गया माल

परिदृश्य	आपूर्ति का समय	लागू जीएसटी दर
दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से पहले जारी किया गया बीजक और प्राप्त भुगतान	से पहले: - बीजक जारी करने की तारीख,	12%

	या - भुगतान प्राप्ति की तारीख	
30 सितंबर, 2021 को या उससे पूर्व जारी बीजक, परंतु 01 अक्टूबर, 2021 को या उसके पश्चात् प्राप्त भुगतान	भुगतान प्राप्ति की तारीख	18%
01 अक्टूबर, 2021 को या उसके पश्चात् जारी बीजक, परंतु 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले प्राप्त भुगतान	बीजक जारी करने की तारीख	18%

- यह भी नोट करना अनिवार्य होगा कि सामान्यतः भुगतान की प्राप्ति की तारीख (या भुगतान प्राप्ति तारीख) वही तारीख है जिस तारीख पर आपूर्तिकर्ता (अर्थात् भारतीय रेलें) के बही खाते में भुगतान की प्रविष्टि की गई है या वह तारीख जिस पर बैंक खाते (भारतीय रेल के) में भुगतान क्रेडिट हुआ है, जो भी पहले है। बहरहाल, कर की दर में परिवर्तन के मामले में, भुगतान की प्राप्ति की तारीख वही है जिस पर बैंक खाते में क्रेडिट हुआ हो, यदि ऐसा क्रेडिट कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् हुआ है।

सभी रेलें और इकाइयां जीएसटी कानूनों में ऊपर उल्लिखित संशोधनों से स्वयं अवगत हों और अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।



(संजीव शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अपर सदस्य/पर्यटन एवं खानपान, प्रधान कार्यपालक निदेशक/वित्त, रेलवे बोर्ड।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
3. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर सशक्त सिमिति, रेलवे बोर्ड।
4. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
5. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. निदेशक/वित्त, क्रिस।